



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230523
CG-DL-E-19102021-230523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

सं. 30 / 2015-2020

विषय: उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों को विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के परिशिष्ट-2ड. के तहत सूचीबद्ध करने के संबंध में।

फा.सं. 01 / 93 / 180 / 55 / एएम-21 / पी.सी-II(बी) / ई-26250.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित एजेंसियों को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

- i. ईओयू और एसईजेड हेतु निर्यात संवर्द्धन परिषद
8जी 8वां तल, हंसालाया बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड़,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-23329766-69, फैक्स 011-23329770
ईमेल: epces@epces.in
वेबसाइट: www.epces.in

- ii. अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन
9, भूतल, अंकीनीनी हाऊस
नाबार्ड के पास, उस्मानपुरा गार्डन के पास,
अहमदाबाद, गुजरात-380013
दूरभाष/हेल्पलाइन नं. 7600003377 / 9727298288
ईमेल: urbaneximcare@gmail.com
वेबसाइट: <https://WWW.ueca.in>
- iii. फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एसोसिएशन्स
एफआईए भवन, आर-11, न्यू ग्रीन सिटी, जीआईडीसी हाऊसिंग ज़ोन
डी मार्केट के पास, सेक्टर-26
गांधीनगर, गुजरात-382026
दूरभाष सं. 079-23289311, मो. 9925007221
ईमेल: fiagujarat@gmail.com
वेबसाइट: www.fia-gujarat.org

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] के तहत उपर्युक्त एजेंसियों के नाम शामिल किए जाते हैं:-

एजेंसी का नाम	राज्य	क्रम सं.
ईओयू और एसईजेड हेतु निर्यात संवर्द्धन परिषद	दिल्ली	20
अर्बन एक्जिम केयर एसोसिएशन	गुजरात	15
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एसोसिएशन	गुजरात	16

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. के तहत तीन नई एजेंसियों को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th October, 2021

No. 30/2015-2020

Subject: Enlistment of Agency(ies) under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 - authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) – reg.

F. No. 01/93/180/55/AM-21/PC.II(B)/ e- 26250.— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes the following agencies to issue Certificate of Origin (Non Preferential):

- i. Export Promotion Council for EOUs & SEZs
8G 8th floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road,
New Delhi – 110001
Tele No. 011-23329766-69, Fax 011-23329770
E-mail: epces@epces.in
Website: www.epces.in

- ii. Urban Exim Care Association
9, Ground Floor, Ankinini House
Near NABARD, Near Usmanpura Garden,
Ahmedabad, Gujarat -380 013
Tele/Helpline No. 7600003377 / 9727298288
E-mail: urbaneximcare@gmail.com
Website: https://www.ueca.in
- iii. Federation of Industries & Associations
FIA Bhavan, R-11, New Green City, GIDC Housing Zone
Near D-Market, Sector 26,
Gandhinagar, Gujarat – 382026
Tele No. 079-23289311, Mob. 9925007221
E-mail: fiagujarat@gmail.com
Website: www.fia-gujarat.org

2. Accordingly, name of the above agencies are added as under in Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP (2015-2020) :

Name of Agency	State	Serial No.
Export Promotion Council for EOUs & SEZs	Delhi	20
Urban Exim Care Association	Gujarat	15
Federation of Industries & Associations	Gujarat	16

3. **Effect of this Public Notice:**

Three new agencies are enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 for issuing Certificate of Origin (Non-Preferential).

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.